

कार्यालय प्राचार्य,

शासकीय रा.भ.रा. एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर, जिला-जशपुर (छ.ग.)

फोन नं./फैक्स नं. 07763 223539 email-rbrnespg@gmail.com website- rbrnesjashpur.in

क्रमांक/529/अतिथि व्याख्याता/2019

जशपुरनगर, दिनांक 30/09/2019

-- :: आमंत्रण पत्र ::--

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-4-2/2013/38-1 रायपुर, दिनांक 03-07-2014 एवं छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 255/243/आउशि/अति.व्या./ रायपुर, दिनांक 18-07-2014 एवं पत्र क्र. 273/243/आउशि/अति.व्या./2015 रायपुर, दिनांक 15-07-2015 एवं पत्र क्र. 138/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2016 रायपुर दिनांक 01.06.2016 एवं पत्र क्र.533/671/अउशि/अति. व्याख्याता/2017 दिनांक 01.07.2017 एवं पत्र क्र.1446/243/अउशि/अति.व्याख्याता/2019 दिनांक 31.08.2019 के परिपालन में विज्ञापित पद पर आवेदन करने के फलस्वरूप, आवेदित पद- अतिथि व्याख्याता (.....हिन्दी.....) पर डॉ./श्री/कु./श्रीमती राजेश कुमार पिता/पति श्री तिहारू निवास पता पो. डांडेकरा, तह- वैजपुर, जिला-बांजगीर-चाम्पा का चयन किया जाता है तथा शासकीय रा.भ.रा. एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.) में हिन्दी (विषय) के अध्यापन हेतु निम्न शर्तों के अध्याधीन आमंत्रित किया जाता है।

शर्त :-

1. चयनित अतिथि विद्वान के लिये प्रति व्याख्यान 40/45 मिनट का होगा तथा प्रति व्याख्यान रूपये 200/- (रूपये दो सौ मात्र) एवं एक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/परीरियड ले सकेंगे। इस प्रकार अधिकतम प्रति दिन रूपये 800/- (रूपये आठ सौ मात्र) तथा अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ मात्र) का भुगतान किया जावेगा।
2. चयनित अतिथि विद्वान को संलग्न शपथ-पत्र प्रारूप में नोटरी के समक्ष सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी कार्यभार ग्रहण की अनुमति प्रदान की जावेगी।
3. चयनित अतिथि विद्वान को आमंत्रण पत्र प्रसारित होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा। (दिनांक - - 2019 तक)
4. आमंत्रण पत्र, दिनांक 28-02-2020 अथवा अन्य सुसंगत पदांकन (जो पहले हो) तक प्रभावशील रहेगा।
5. आमंत्रण पत्र प्राप्ति के दौरान संबंधित अतिथि विद्वान को आवेदन-पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण-पत्र/दस्तावेजों के मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। आरक्षित संवर्ग- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के अतिथि विद्वानों को स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।  
आरक्षित संवर्ग के आधार पर चयन होने के दौरान जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
6. किसी प्रकार का अवकाश अवैतनिक ही मान्य होगा।
7. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, एवं बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
8. विभाग के निर्देशानुसार गतवर्ष कार्यरत अतिथि व्याख्याता द्वारा न्यायालयीन आदेश अपने पक्ष का जमा करने पर बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकती है।

(डॉ. व्ही. के. रक्षित)

प्राचार्य

शासकीय रा.भ.रा.एन.ई.एस.स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय जशपुरनगर जिला जशपुर (छ.ग.)

शासकीय रा.भ.रा. एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर, जिला-जशपुर (छ.ग.)

फोन नं./फैक्स नं. 07763 223539

email-rbrnespg@gmail.com

website- rbrnesjashpur.in

क्रमांक/576 / अतिथि व्याख्याता/2021

जशपुरनगर, दिनांक 02 / 03 / 2021

— :: आमंत्रण पत्र :: —

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-4-2/2013/38-1 रायपुर, दिनांक 03-07-2014 एवं छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 255/243/आउशि/अति.व्या./ रायपुर, दिनांक 18-07-2014 एवं पत्र क्र. 273/243/आउशि/अति.व्या./2015 रायपुर, दिनांक 15-07-2015 एवं पत्र क्र. 138/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2016 रायपुर दिनांक 01.06.2016/01-07-2017 एवं पत्र क्र. 1446/243/आउशि/अति.व्याख्याता/2019 दिनांक 31.08.2019 एवं क्र.एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर क्र.एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 22-02-2021 के परिपालन में विज्ञापित पद पर आवेदन करने के फलस्वरूप, आवेदित पद- अतिथि व्याख्याता (...हिन्दी.) पर डॉ./श्री/कु./श्रीमती ..राजेश कुमार जांगड़े.....पिता/पति ... तिहारू. निवास पता ग्रा. छीराडीह पो. ओडकेरा ब्लॉक जांजगीर जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) का माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अध्याधीन रहते हुए चयन किया जाता है तथा शासकीय रा.भ.रा. एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.) में हिन्दी .. (विषय) के अध्यापन हेतु निम्न शर्तों के अध्याधीन आमंत्रित किया जाता है।

शर्त :-

15. चयनित अतिथि विद्वान के लिये प्रति व्याख्यान 40/45 मिनट का होगा तथा प्रति व्याख्यान रूपये 200/- (रूपये दो सौ मात्र) एवं एक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/परीरियड ले सकेंगे। इस प्रकार अधिकतम प्रति दिन रूपये 800/- (रूपये आठ सौ मात्र) तथा अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ मात्र) का भुगतान किया जावेगा।
16. चयनित अतिथि विद्वान को संलग्न शपथ-पत्र प्रारूप में नोटरी के समक्ष सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी कार्यभार ग्रहण की अनुमति प्रदान की जावेगी।
17. चयनित अतिथि विद्वान को आमंत्रण पत्र प्रसारित होने के दिनांक से 03 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा। (दिनांक 04 -03 - 2021 तक)
18. आमंत्रण पत्र, दिनांक 31-7-2021 अथवा अन्य सुसंगत पदांकन (जो पहले हो )तक प्रभावशील रहेगा।
19. आमंत्रण पत्र प्राप्ति के दौरान संबंधित अतिथि विद्वान को आवेदन-पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण-पत्र/दस्तावेजों के मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। आरक्षित संवर्ग- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के अतिथि विद्वानों को स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।  
आरक्षित संवर्ग के आधार पर चयन होने के दौरान जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
20. किसी प्रकार का अवकाश अवैतनिक ही मान्य होगा।
21. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, एवं बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(डॉ. व्ही. के. रसित)

PRINCIPAL  
GOVT. R.B.R.N.E.S. PG COLLEGE  
JASHIPUR NAGAR (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य,  
शासकीय रा.भ.रा. एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर, जिला-जशपुर (छ.ग.)  
फोन नं./फैक्स नं. 07763 223539 email-rbrnespg@gmail.com website- rbrnesjashpur.in

क्रमांक / 993 / अतिथि व्याख्याता / 2021

जशपुरनगर, दिनांक 21 / 10 / 2021

— :: आमंत्रण पत्र :: —

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-4-2/2013/38-1 रायपुर, दिनांक 03-07-2014 एवं छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 255/243/आउशि/अति.व्या./ रायपुर, दिनांक 18-07-2014 एवं पत्र क्र. 273/243/आउशि/अति.व्या./2015 रायपुर, दिनांक 15-07-2015 एवं पत्र क्र.138/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2016 रायपुर दिनांक 01.06.2016/01-07-2017 एवं पत्र क्र.1446/243/अउशि/अति.व्याख्याता/2019 दिनांक 31.08.2019 एवं क्र.एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर क्र.एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 12-10-2021 एवं 724/126/आउशि/राज.स्था./2021 अटलनगर, दिनांक 18-10-2021 के परिपालन में विज्ञापित पद पर आवेदन करने के फलस्वरूप, आवेदित पद- अतिथि व्याख्याता (हिन्दी) पर डॉ./श्री/कु./श्रीमती शशिमा कुमारी शर्मा पिता/पति विहार निवास पता डी.डी.ए. डी.डी.ए. जशपुर नगर का माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अध्यक्षीन रहते हुए चयन किया जाता है तथा शासकीय रा.भ.रा. एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.) में हिन्दी (विषय) के अध्यापन हेतु निम्न शर्तों के अध्यक्षीन आमंत्रित किया जाता है। यह आमंत्रण पत्र, दिनांक 30-04-2022 अथवा अन्य सुसंगत पदांकन (जो पहले हो) तक प्रभावशील रहेगा।

शर्त :- पूर्व सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी ।

(डॉ. व्ही. के. रक्षित)

PRINCIPAL

GOVT. R.B.R.N.E.S.P.G COLLEGE  
JASHPURNAGAR (C.G.)

पु.क्रमांक / 993 / अतिथि व्याख्याता / 2021

जशपुरनगर, दिनांक : / / 2021

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, शासकीय रा.भ.रा. एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर, जिला-जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. शाखा प्रभारी, लेखा शाखा/आवक जावक शाखा, शासकीय रा.भ.रा. एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर, जिला-जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अतिथि विद्वान शाखा, शासकीय रा.भ.रा. एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर, जिला-जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित डॉ./श्री/कु./श्रीमती शशिमा कुमारी शर्मा पिता/पति विहार निवास पता डी.डी.ए. डी.डी.ए. जशपुर नगर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 5.

(डॉ. व्ही. के. रक्षित)

PRINCIPAL

GOVT. R.B.R.N.E.S.P.G COLLEGE  
JASHPURNAGAR (C.G.)